मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल

मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, अधिनियम, 1991
Madhya Pradesh Bhoj (Mukta) Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1991

मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 17 सितम्बर 1991 में प्रकाशित
शिक्षा विभाग की विज्ञप्ति क्र. 52–26–92–सी–3–अड़तीस, दिनांक 1 अक्टूबर 1992
द्वारा यह अधिनियम दिनांक 1 अक्टूबर, 1992 से प्रभावशील हुआ
Published in M.P. Rajpatra (Extraordinary), dated September 17, 1991
This Adhiniyam came into force on October 1, 1992
Vide Education Department Notification No. F-52-26-26-92-C-3-XXXVIII
(As amended upto 1997)

विषय–सूची

धराएं :

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ.
2. परिभाषाएँ.
3. विश्वविद्यालय की स्थापना और निगमन.
4. विश्वविद्यालय के उद्देश्य.
5. विश्वविद्यालय की शक्तियाँ .
6. विश्वविद्यालय का सभी वर्गों, जातियों और पंथों के लिए खुला होना.
7. विश्वविद्यालय के अधिकारी.
8. कुलाधिपति.
9. कुलपति.
10. निदेशक.
11. कुलसचिव.
12. वित्त अधिकारी.
13. अन्य अधिकारी.
14. विश्वविद्यालय के प्राधिकरण.
15. प्रबन्ध बोर्ड.
16. विद्या परिषद्.
17. योजना बोर्ड.
18. विभाग.
19. अध्ययन बोर्ड.
20. वित्त समिति.
21. अन्य प्राधिकरण.
22. विश्वविद्यालय निधि.
23. उद्देश्य जिनके लिए विश्वविद्यालय निधि उपयोजित की जा सकेगी.
24. समन्वय समिति.
25. परिनियम.
26. परिनियम किस प्रकार बनाए जायेंगे.
27. अध्यादेश.
28. विनियम.
29. वार्षिक रिपोर्ट.
30. वार्षिक लेखे आदि.
31. कर्मचारियों की सेवा की शर्तें.
32. माध्यस्थम् अधिकरण.
33. विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों तथा निकायों के गठन के बारे में विवाद.
34. आकस्मिक रिक्तियों को भरा जाना.
35. विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों या निकायों की कार्यवाहियों का रिक्तियों के कारण अविधिमानय न होना.
36. सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण.
37. कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति.
38. संक्रमणकालीन उपबन्ध.

मध यप्रदेश अधिनियम

क्र मांक 20 सन् 1991

मध यप्रदेश भोज (मुक्त) [1] विश्वविद्यालय अधिनियम 1991

(दिनांक 13 सितम्बर, 1991 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति " मध यप्रदेश राजपत्र (असाधरण) " में दिनांक 17 सितम्बर 1991 को प्रथम बार प्रकाशित की गई)

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मुक्त विश्वविद्यालय के और दूर–शिक्षा पद्धति के प्रारम्भ और संवर्धन के लिए राज्य स्तर पर एक मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित और निगमित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के बयालीसवें वर्ष में मध यप्रदेश विधान–मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध यप्रदेश भोज (मुक्त) [2] विश्वविद्यालय अधिनियम, 1991 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध यप्रदेश है।

(3) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करें।

परिभाषाएँ

2. इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए परिनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

(क) " विद्या परिषद" से विश्वविद्यालय की विद्या परिषद अभिप्रेत है;

(ख) ''आयोग'' से अभिप्रेत है मध यप्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग अधिनियम, 1973 (क्र मांक 21 सन् 1973) की धारा 3 के अधीन स्थापित मध यप्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग;

(ग) ''प्रबंध बोर्ड'' से विश्वविद्यालय का प्रबंध बोर्ड अभिप्रेत है;

(घ) ''समन्वय समिति'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (क्र मांक 22 सन् 1973) की धारा 34 के अधीन स्थापित समिति;

(ड़) ''विभाग'' से अभिप्रेत हैं संबंधित विषय का विश्वविद्यालय का विभाग'

(च) ''दूर–शिक्षा पद्धति'' से प्रसारण (ब्राडकास्टिंग) दूरदर्शन–प्रेषण (टेलीकास्टिंग) , दृश्य श्रव्य (ऑडियो विजुअल) साधनों, दृश्य पद्धतियों जैसे संचार के किन्ही साधनों, पत्राचार पाठ्यक्र मों विचार गोष्ठियों,

---

* मध्यप्रदेश भोज विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक अधिनियम, 1997 के अनुसार [मध यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 25 अक्टूबर 1997 को प्रकाशित]

सम्पर्क कार्यक्रम या ऐसे साधनों में से किन्ही दो या अधिक साधनों के संयोजन के माध्यम से शिक्षा देने की पद्धति अभिप्रेत है;

(छ) ''कर्मचारी'' से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति और उसके अन्तर्गत है विश्वविद्यालय के अध्यापक और अन्य शैक्षणिक कर्मचारीवृन्द;

(ज) ''वित्त समिति'' से विश्वविद्यालय की वित्त समिति अभिप्रेत है;

(झ) ''कुलपति'' से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का कुलपति;

(ञ) ''योजना बोर्ड'' से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का योजना बोर्ड;

(ट) ''क्षेत्रीय केन्द्र'' से अभिप्रेत है कोई ऐसा केन्द्र जो विश्वविद्यालय द्वारा किसी क्षेत्र में के अध्ययन केन्द्रों के कार्य में समन्वय और उनका पर्यवेक्षण करने के प्रयोजनार्थ और ऐसे अन्य कृत्यों का, जो प्रबंध बोर्ड द्वारा ऐसे केन्द्र को प्रदत्त किया जाएं, पालन करने के लिए स्थापित किया गया हो या संधारित किया जाता हो;

(ठ) ''विनियम'' से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियम जो तत्समय प्रवृत हों;

(ड) ''परिनियम'' और ''अध्यादेश'' से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय के तत्समय प्रवृत्त क्रमशः परिनियम और अध्यादेश;

(ढ) ''विद्यार्थी'' से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का विद्याथी, और उसके अन्तर्गत कोई ऐसा व्यक्ति भी है जिसने विश्वविद्यालय के किसी अध्ययन पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन करने के लिए स्वयं का नामांकन कराया हो;

(ण) ''अध्ययन केन्द्र'' से अभिप्रेत है कोई ऐसा केन्द्र जो विद्यार्थियों को ऐसी सलाह, ऐसा परामर्श या कोई ऐसी अन्य सहायता, जो उनके द्वारा अपेक्षित हो, देने के प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित किया गया हो, चलाया जाता हो या जिसे विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्रदान की गई हो;

(त) ''अध्यापक'' से अभिप्रेत है आचार्य, उपाचार्य, सहायक आचार्य, और ऐसे अन्य व्यक्ति जो विश्वविद्यालय में शिक्षण देने के लिये या विश्वविद्यालय के किसी अध्ययन पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन करने के लिए विद्यार्थियों का मार्गदर्शन

करने या उन्हें सहायता देने के लिए, अध्यादेशों द्वारा उस रूप में पदाभिहित किए जाएं और उनके अन्तर्गत है, क्षेत्रीय केन्द्रों या अध्ययन केन्द्रों के अंशकालिक तथा पूर्णकालिक अध्यापक;

(थ) ''विश्वविद्यालय'' से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन स्थापित मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) [3] विश्वविद्यालय;

(द) ''इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय'' से अभिप्रेत है इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 1985 (1985 का सं. 50) की धारा 3 के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय;

(ध) ''विश्वविद्यालय अनुदान आयोग'' से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का सं. 3) के अधीन स्थापित आयोग;

(न) उन शब्दों के, जो इस अधिनियम में परिभाषित नहीं हैं वही अर्थ होंगे जिस रूप में वे मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 4 में परिभाषित हैं।

विश्वविद्यालय की स्थापना और निगमन

3. (1) ''मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) [4] विश्वविद्यालय के नाम से एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा।

(2) विश्वविद्यालय का मुख्यालय भोपाल में होगा और वह ऐसे स्थानों पर, जो वह ठीक समझे, क्षेत्रीय केन्द्र, और अध्ययन केन्द्र स्थापित या संधारित कर सकेगा।

(3) प्रथम कुलपति और प्रथम प्रबन्ध बोर्ड, विद्या परिषद योजना बोर्ड और ऐसे समस्त व्यक्तियों से, जो इसके पश्चात् ऐसे अधिकारी या सदस्य बने, जब तक कि वे ऐसा पद या ऐसी सदस्यता धारण किए रहते हैं, एतदद्वारा ''मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) [5] विश्वविद्यालय'' के नाम से एक नियमित निकाय गठित होगा।

(4) विश्वविद्यालय का शाश्वत् उत्तराधिकार होगा और उसकी सामान्य मुद्रा होगी और यह उक्त नाम से बाद चलाएगा तथा उक्त नामों से उसके विरूद्ध वाद चलाया जाएगा।

विश्वविद्यालय के उद्देश्य

4. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे :–

(i) विभिन्न साधनों द्वारा, जिनके अन्तर्गत किसी संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग है, विद्या और ज्ञान की अभिवृद्धि और प्रसार करना;

---

[2] म.प्र. भोज वि.वि. (संशोधन) विधेयक, 1992, (क्र 16, 1992)

(ii) जनसंख्या के बड़े भाग के लिए उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान करना और साधारणतया समुदाय के शैक्षणिक कल्याण का उन्नयन करना;

(iii) राज्य के शैक्षणिक ढांचे में मुक्त विश्वविद्यालय और दूर–शिक्षा पद्धतियों को प्रोत्साहित करना।

विश्वविद्यालय की शक्तियां

5. (1) विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी अर्थात्–

(i) ज्ञान, प्रौद्योगिकी, व्यवसायों और वृत्ति ायों की ऐसी शाखाओं में, जो विश्वविद्यालय समय–समय पर अवधारित करें, शिक्षण की व्यवस्था करना और प्रायोजित अनुसंधान के लिए व्यवस्था करना;

(ii) उपाधियों, उपाधिपत्रों (डिप्लोमा) प्रमाण–पत्रों या किसी अन्य प्रयोजन के लिए अध्ययन पाठ्यक्रमों की योजना बनाना और उन्हें विहित करना;

(iii) परीक्षाएँ आयोजित करना और ऐसे व्यक्तियों को जिन्होनें परिनियमों तथा अध्यादेशों द्वारा अधिकथित रीति में सफलतापूर्वक अध्ययन पाठ्यक्रम पूरा किया हो, उपाधियाँ , उपाधिपत्र, प्रमाणपत्र या विद्या सम्बन्धी अन्य विशिष्टताएं या मान्यताएं प्रदान करना;

(iv) वह रीति अवधारिता करना जिसमें विश्वविद्यालय के शिक्षा कार्यक्रमों के संबंध में दूर–शिक्षा आयोजित की जा सकेगी;

(v) शिक्षण देने के लिए या शैक्षणिक सामग्री तैयार करने के लिए या ऐसे शैक्षणिक कार्यकलापों का, जिनके अन्तर्गत पाठ्यक्रमों के लिए मार्गदर्शन, उनकी रूपरेखा तैयार करना और उनका प्रस्तुतीकरण और विद्यार्थियों द्वारा किए गए कार्य के मूल्यांकन भी है, संचालन करने के लिए आचार्य, उपाचार्य, सहायक आचार्य के पद तथा अन्य शैक्षणिक पद संस्थित करना और ऐसे आचार्य, उपाचार्य, सहायक आचार्य के पदों तथा अन्य शैक्षणिक पदों पर व्यक्तियों की नियुक्ति करना;

(vi) अन्य विश्वविद्यालयों तथा उच्च शिक्षा संस्थाओं, वृत्तिक निकायों और संगठनों के साथ ऐसे प्रयोजनों के लिए, जिन्हें विश्वविद्यालय आवश्यक समझें, सहयोग करना तथा उनका सहयोग प्राप्त करना;

(vii) अध्येतावृत्तियाँ , छात्रावृत्तियाँ , पुरस्कार तथा योग्यता की मान्यता के लिए ऐसे अन्य परितोषिक संस्थित करना और देना जो विश्वविद्यालय ठीक समझे;

(viii) ऐसे क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित करना और संधारित करना जो विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर अवधारित किए जाए;

(ix) परिनियमों द्वारा अधिकथित रीति में अध्ययन केन्द्रों की स्थापना करना, उन्हें संधारित करना या मान्यता देना;

(x) शिक्षा सामग्री, जिनके अन्तर्गत फिल्में, कैसेट, टेप, वीडियों कैसेट तथा अन्य साफ्टवेअर हैं, तैयार किए जाने की व्यवस्था करना;

(xi) अध्यापकों, पाठ, लेखकों, मूल्यांककों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द के लिए पुनश्चया पाठ्यक्रमों (रिफ्रेशरकोर्स) , कर्मशालाओं, विचार गोष्ठियों तथा अन्य कार्यक्रमों का आयोजन और संचालन करना;

(xii) अन्य विश्वविद्यालयों, संस्थाओं या उच्च शिक्षा के अन्य स्थानों की परीक्षायें या वहां की अध्ययन की कालावधियों को (चाहे पूर्णतः या भगतः) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं या अध्ययन की कालावधियों के समतुल्य मान्यता देना और ऐसी मान्यता को किसी भी समय वापस लेना;

(xiii) शैक्षणिक प्रौद्योगिकी और संबंधित विषयों में प्रायोजित अनुसंधान और विकास के लिए व्यवस्था करना;

(xiv) प्रशासनिक, अनुसचिवीय और अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना और उन पर नियुक्तियां करना;

(xv) विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए उपकृति, संदान और दान प्राप्त करना और कोई जंगम या स्थावर सम्पत्ति, जिसके अन्तर्गत न्यास तथा सरकारी सम्पत्ति भी है, अर्जित करना, धारण करना, अनुरक्षित करना या उसका व्ययन करना;

(xvi) राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, चाहे विश्वविद्यालय की सम्पत्ति की प्रतिभूति पर या अन्यथा, विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए धन उधार लेना;

(xvii) संविदाएं करना, उन्हें निष्पादित करना, उनमें परिवर्तन करना या उन्हें रद्द करना;

(xviii) ऐसी फीसों और अन्य प्रभारों की, जो अध्यादेशों द्वारा अधिकथित किए जाएं, मांग करना और उन्हें प्राप्त करना;

(xviv) विद्यार्थियों और समस्त प्रवर्गों के कर्मचारियों पर नियंत्रण और उनके बीच अनुशासन बनाए रखने की व्यवस्था करना और ऐसे कर्मचारियों की सेवा शर्तों को, जिनके अन्तर्गत उनकी आचरण संहिताएं भी है अधिकथित करना;

(xx) अभ्यागत (मेरिटस्) आचार्यों, प्रतिष्ठित आचार्यों, परामर्शियों, अध्येताओं, विद्वानों, कलाकारों, पाठ्यक्रम लेखकों को ओर ऐसे अन्य व्यक्तियों को, जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने में योगदान दे सके, संविदा पर या अन्यथा नियुक्त करना;

(xxi) अन्य विश्वविद्यालयों, संस्थाओं का संगठनों में कार्यरत व्यक्तियों को विश्वविद्यालय के अध्यापकों के रूप में ऐसे निबंधनों तथा शर्तों पर मान्यता देना जो अध्यादेशों द्वारा अधिकथित की जाएँ ;

(xxii) विश्वविद्यालय के अध्ययन पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए स्तरमान अवधारित करना और शर्तें विनिर्दिष्ट करना जिनमें परीक्षा, मूल्यांकन और परीक्षण का कोई अन्य तरीका सम्मिलित हो सकेगा;

(xxiii) कर्मचारियों के साधारण स्वास्थ्य और कल्याण की अभिवृद्धि के लिए प्रबंध करना;

(xviv) विश्वविद्यालय की समस्त या उनमें से किसी शक्ति के प्रयोग के लिए आवश्यक या उससे आनुबंधिक ऐसे समस्त कार्य करना जो विश्वविद्यालय के समस्त उद्देश्यों या उनमें से किसी उद्देश्य को संप्रवर्तित करने के लिए आवश्यक या सहायक हो।

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किन्तु उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, विश्वविद्यालय का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे समस्त उपाय करें जिन्हें वह विश्वविद्यालय और दूर–शिक्षा पद्धतियों के संवर्धन के लिए और ऐसी पद्धतियों में शिक्षण, मूल्यांकन तथा अनुसंधान के स्तरमानों के अवधारण के लिए ठीक समझे। विश्वविद्यालय अपने उद्देश्यों के क्रियान्वयन के लिए इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के साथ सहयोग हेतु प्रयास करेगा और मुक्त अध्ययन प्रणाली के लिए उसके द्वारा विहित शैक्षिक सन्नियमों (नार्म्स) तथा स्तरमानों का यथासाध्य सीमा तक पालन करेगा।

6. विश्वविद्यालय, इस अधिनियम द्वारा या अधीन उसे प्रदत्त या उस अधिरोपित शक्तियों का प्रयोग या कृत्यों का पालन करने में भारत के किसी नागरिक के विरूद्ध धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान, राजनैतिक या अन्य विचारधारा या इनमें से किसी के भी आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा।

विश्वविद्यालय का सभी वर्गों जातियों और पंथों के लिए खुला होना

7. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे :–

विश्वविद्यालय के अधिकारी

(1) कुलाधिपति;

(2) कुलपति;

(3) निदेशक;

(4) कुलसचिव;

(5) वित्त अधिकारी; और

(6) ऐसे अन्य अधिकारी जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय का अधिकारी घोषित किया जाए।

8. (1) मध्यप्रदेश का राज्यपाल विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होगा।

कुलाधिपति

(2) उपधारा (3) और (4) के उपबन्धो के अध्यधीन रहते हुए, कुलाधिपति को यह अधिकार होगा कि वह ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जिन्हें वह निर्देशित करें, विश्वविद्यालय का, उसके भवनों, प्रयोगशालाओं तथा उपस्करों का, और किसी क्षेत्रीय केन्द्र का, किसी अध्ययन केन्द्र का, और साथ ही विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षा, शिक्षण और उसके द्वारा किए गए अन्य कार्य का निरीक्षण करवाए, और ऐसी ही रीति से विश्वविद्यालय के प्रशासन तथा वित्तीय संसाधनों से संबंधित किसी विषय के बारे में जाँच करवाए।

(3) जहां कुलधिपति द्वारा कोई निरीक्षण या जांच करवाई गई हों वहां विश्वविद्यालय एक प्रतिनिधि नियुक्त करने का हकदार होगा जिसे ऐसे निरीक्षण या जांच में व्यक्तिशः उपसंजात होने और सुने जाने का अधिकार होगा।

(4) कुलाधिपति, ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणामों के संबंध में कुलपति को उन विचारों तथा सलाह के साथ संबोधित कर सकेंगा जो कुलाधिपति उन पर की जाने वाली कार्रवाई के बारे में व्यक्त करना चाहे और कुलाधिपति द्वारा किया गया संबोधन प्राप्त होने पर कुलपति निरीक्षण या जांच के परिणामों और उन पर की जाने वाली कार्रवाई से संबंध में कुलाधिपति के विचार और उसके द्वारा दी गई सलाह प्रबन्ध बोर्ड की तुरन्त संसूचित करेगा।

(5) प्रबन्ध बोर्ड, कुलपति के माध्यम से, कुलाधिपति को उस कार्रवाई की यदि कोई हो संसूचना देगा जो वह ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणामों के संबंध में करना प्रस्तावित करता है अथवा जो उसके द्वारा की गई हो।

(6) जहॉ प्रबंध बोर्ड युक्तियुक्त समय के भीतर कुलाधिपति के समाधानप्रद रूप में कार्रवाई नही करता है वहॉ कुलाधिपति प्रबंध बोर्ड द्वारा दिए गए किसी स्पष्टीकरण या किए गए किसी अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् ऐसे निदेश जारी कर सकेगा जो वह ठीक समझे और प्रबंध बोर्ड ऐसे निदेशों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगा।

(7) इस धारा के पूर्वगामी उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कुलपति, लिखित आदेश द्वारा विश्वविद्यालय की किसी भी ऐसी कार्यवाही को जो इस अधिनियम परिनियमों या अध्यादेशों के अनुरूप न हो बातिल कर सकेगा।

परन्तु कोई भी ऐसा आदेश करने के पूर्व, वह विश्वविद्यालय से यह हेतुक प्रदर्शित करने की अपेक्ष करेगा के ऐसा आदेश क्यों न किया जाए और, यदि कोई हेतुक युक्तियुक्त समय के भीतर दर्शित किया जाता है तो वह उस पर विचार करेगा।

(8) कुलाधिपति को ऐसी अन्य शक्तियां होंगी जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं।

कुलपति 9 (1) कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा ऐसी रीति में, ऐसी अवधि के लिए तथा ऐसी उपलब्धियों और सेवा की अन्य शर्तो पर की जाएगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए।

(2) कुलपति, विश्वविद्यालय का प्रधान शैक्षणिक और कार्यपालक अधिकारी होगा, और विश्वविद्यालय के कार्यकलापों का पर्यवेक्षण करेगा और उन पर नियंत्रण रखेगा तथा विश्वविद्यालय के समस्त प्राधिकरणों के विनिश्चयों को कार्यान्वित करेगा।

(3) कुलपति यदि उसकी यह राय है कि किसी मामले में तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक है किसी भी ऐसी शक्ति का प्रयोग कर सकेगा जो विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण को इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त की गई हो और ऐसे मामले में अपने द्वारा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट उस प्रधिकरण को देगा।

परन्तु यदि संबंधित प्राधिकरण की यह राय है कि ऐसी कार्रवाई नही की जानी चाहिए थी तो

वह उस मामले को कुलाधिपति को निर्देशित कर सकेगा, जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

परन्तु यह और भी कि विश्वविद्यालय की सेवा में के किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो कुलपति द्वारा इस उपधारा के अधीन की गई कार्रवाई से व्यथित हो, यह अधिकार होगा कि वह उस कार्रवाई के विरूद्व अपील प्रबंध बोर्ड को उस तारीख से तीस दिन के भीतर करे जिसको उसे उस कार्रवाई की सूचना दी जाती है और तदुपरि प्रबंध बोर्ड कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई की पुष्टि कर सकेगा, उसे उपान्तरित कर सकेगा या उसे उलट सकेगा।

(4) कुलपति, यदि उसकी यह राय है कि किसी प्राधिकरण का कोई विनिश्चत इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों के उपबन्धों द्वारा उस प्राधिकरण को प्रदत्त शक्तियों से परे है या यह कि किया गया कोई विनिश्चय विश्वविद्यालय के हित में नहीं है, संबंधित प्राधिकरण से निवेदन कर सकेगा कि वह अपने विनिश्चय का पुनर्विलोकन, ऐसे विनिश्चय के साठ दिन के भीतर करें और यदि वह प्राधिकरण अपने विनिश्चय का पूर्णतः या भागतः पुनर्विलोकन करने से इंकार करता है या साठ दिन की उक्त कालावधि के भीतर उसके द्वारा उस पर कोई विनिश्चय नहीं किया जाता है तो वह मामला कुलाधिपति को निर्देशित किया जाएगा। जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

परन्तु संबंधित प्राधिकरण का विनिश्चय, इस उपधारा के अधीन यथास्थिति प्राधिकरण या कुलाधिपति द्वारा ऐसे विनिश्चय के पुनर्विलोकन की कालावधि के दौरान निलंबित रहेगा।

(5) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगा जो परिनियमों और अध यादेशों द्वारा विहित किए जाएं।

निदेशक

10. प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति ऐसी रीति में ऐसी उपलब्धियों तथा सेवा की ऐसी अन्य शर्तों पर की जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

कुलसचिव

11. (1) प्रत्येक कुलसचिव की नियुक्ति ऐसी रीति में, ऐसी उपलब्धियों तथा सेवा की अन्य शर्तो पर की जाएगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए।

(2) प्रबन्ध बोर्ड द्वारा सशक्त किए गए कुलसचिव को विश्वविद्यालय की ओर से करार करने, उन पर हस्ताक्षर करने और अभिलेखों को अधिप्रमाणित करने की शक्ति होगी।

(3) प्रत्येक कुलसचिव ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

वित्त अधिकारी

12. वित्त अधिकारी की नियुक्ति ऐसी रीति में, ऐसी उपलब्धियों तथा सेवा की ऐसी अन्य शर्तो पर की जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाए।

अन्य अधिकारी

13. विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति, उनकी उपलब्धियां, शक्तियां और उनके कर्तव्य परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे।

विश्वविद्यालय के प्राधिकरण

14. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकरण होंगे :–

(1) प्रबन्ध बोर्ड;

(2) विद्या परिषद;

(3) योजना बोर्ड;

(4) विभाग;

(5) अध्ययन बोर्ड;

(6) वित्त समिति; और

(7) ऐसे अन्य प्राधिकरण जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकरण घोषित किए जाएं।

प्रबन्ध बोर्ड

15. (1) प्रबन्ध बोर्ड, विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक निकाय होगा जिसमें ग्यारह से अधिक सदस्य नहीं होंगे जिनमें सरकारी अधिकारी पांच से अधिक नहीं होंगे।

(2) प्रबन्ध बोर्ड का गठन, उसके सदस्यों की पदावधि तथा उसकी शक्तियाँ और कृत्य परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे।

विद्या परिषद

16. (1) विद्या परिषद विश्वविद्यालय की प्रधान शैक्षणिक निकाय होगी जिसमें पन्द्रह से अधिक सदस्य नहीं होंगे जिनमें से सरकारी अधिकारी तीन से अधिक नहीं होंगे और वह इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबन्धों अध्ययीन रहते हुए, विश्वविद्यालय में अनुसंधान विद्या, शिक्षा, शिक्षण, मूल्यांकन तथा परीक्षा के स्तरमानों का नियंत्रण और साधारण विनियमन करेगी और उनको बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगी तथा ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगी जो परिनयमों द्वारा उसे प्रदत्त की जाएं या उस पर अधिरोपित किए जाएं।

(2) विद्या परिषद का गठन तथा उसके सदस्यों की पदावधि परिनियमों द्वारा विहित की जाएगी।

योजना बोर्ड

17. (1) विश्वविद्यालय के एक योजना बोर्ड का गठन किया जाएगा जिसमें ग्यारह से अधिक सदस्य नहीं होंगे जिनमें से सरकारी अधिकारी तीन से अधिक नहीं होंगे, यह विश्वविद्यालय का प्रधान योजना निकाय होगा और विश्वविद्यालय के उद्देश्यों में उपदर्शित आधारों पर विश्वविद्यालय के विकास को मानिटर करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

(2) योजना बोर्ड का गठन, उसके सदस्यों की पदावधि तथा उसकी शक्तियाँ और कृत्य परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे।

विभाग

18. (1) विभाग इतनी संख्या में होंगे जो विश्वविद्यालय समय–समय पर अवधारित करें।

(2) विभाग का गठन उनकी शक्तियां और कृत्य परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे।

अध्ययन बोर्ड

19. (1) प्रत्येक विषय या विषयों के समूह के लिए, जैसा परिनियमों द्वारा विहित किया जाए एक अध्ययन बोर्ड होगा।

(2) अध्ययन बोर्ड का गठन, उसके सदस्यों की पदावधि और उसकी शक्तियां और कृत्य परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे।

वित्त समिति

20. (1) वित्त समिति का गठन, उसकी शक्तियां और कृत्य परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे।

(2) वित्तीय विवक्षाएं अंतर्वलित करने वाला कोई भी विनिश्चय विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण द्वारा, वित्त समिति की पूर्व सहमति के बिना नहीं किया जाएगा।

अन्य प्राधिकरण

21. अन्य प्राधिकरणों का, जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकरण घोषित किए जाएं, गठन, शक्तियां और कृत्य परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे।

विश्वविद्यालय निधि

22. (1) विश्वविद्यालय एक निधि स्थापित करेगा जो विश्वविद्यालय निधि कहलाएगी।

(2) निम्नलिखित विश्वविद्यालय निधि का भाग होंगे या उसमें संदत्त किए जाएंगे :–

(क) केन्द्र या राज्य सरकार या किसी निगमित निकाय द्वारा दिया गया कोई उधार, अभिदाय या अनुदानं

(ख) न्यास, वसीयत, दान, विन्यास (एण्डाउमेण्ट्स) तथा अन्य अनुदान, यदि कोई हो।

(ग) समस्त स्त्रोतों से विश्वविद्यालय की आय जिसके अन्तर्गत फीस तथा प्रभारों से हुई आय भी है।

(घ) विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त समस्त अन्य राशियाँ

(3) विश्वविद्यालय निधि, प्रबंध बोर्ड के विवेकानुसार, रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का सं. 2) में यथापरिभाषित किसी अनुसूचित बैंक में रखी जाएगी या उसका विनिधान भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (1882 का सं. 2) द्वारा प्राधिकृत प्रतिभूतियों में किया जाएगा।

(4) इस धारा में की कोई भी बात, किसी न्यास के प्रशासन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा या उसकी ओर से निष्पादित न्यास की किसी घोषणा के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिगृहीत या उस पर अधिरोपित किन्ही बाध्यताओं पर किसी भी प्रकार से प्रभाव नहीं डालेगी।

उद्देश्य जिनके लिए विश्वविद्यालय निधि उपयोजित की जा सकेगी

23. (1) विश्वविद्यालय निधि निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए उपयोजित की जाएगी :–

(क) इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए परिनियमों और अध्यादेशों तथा विनियमों के प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा उपगत ऋणों के प्रतिसंदाय के लिए;

(ख) विश्वविद्यालय की सम्पत्ति के, जिसके अन्तर्गत विभाग, क्षेत्रीय केन्द्र, अध्ययन केन्द्र, तथा छात्रावास है, अनुरक्षण के लिए;

(ग) विश्वविद्यालय निधि की संपरीक्षा के खर्च के संदाय के लिए;

(घ) किसी ऐसे वाद या किन्ही ऐसी कार्यवाहियों के व्ययों के लिए जिनमें विश्वविद्यालय एक पक्षकार हो;

(ङ) विश्वविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों और विश्वविद्यालय द्वारा संधारित विभागों के अध्यापन तथा अध्यापनेत्तर कर्मचारिवृन्द के वेतन तथा भत्तों के संदाय के लिए और इस अधिनियम, उसके अधीन बनाए गए परिनियमों और अध्यादेशों तथा विनियमों के प्रयोजनों को अग्रसर करने के लिए और अन्य फायदों के संदाय के लिए;

(च) इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों के उपबंधों में से किसी उपबंध के अनुसरण में नियुक्त किए गए विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों के सदस्यों के यात्रा भत्तों तथा अन्य भत्तों के संदाय के लिए;

(छ) विद्यार्थियों को अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों तथा अन्य पुरस्कारों के संदाय के लिए;

(ज) इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में विश्वविद्यालय द्वारा उपगत किन्हीं व्ययों के संदाय के लिये;

(झ) पूर्ववर्ती खण्डों में से किसी भी खण्ड में विनिर्दिष्ट न किये गये किन्हीं ऐसे अन्य व्ययों के संदाय के लिये जो प्रबंध बोर्ड द्वारा विश्वविद्यालय के प्रयोजनार्थ व्यय घोषित किये गये हों।

(2) प्रबंध बोर्ड द्वारा वर्ष के लिये कुल आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय के लिये नियत की गयी सीमाओं से अधिक कोई भी व्यय विश्वविद्यालय द्वारा, उपगत नहीं किया जायेगा।

(3) उस व्यय से, जिसका बजट में प्रावधान किया गया है, भिन्न कोई भी व्यय विश्वविद्यालय द्वारा, प्रबंध बोर्ड के पूर्व अनुमोदन के बिना, उपगत नहीं किया जायेगा।

समन्वय समिति

24. (1) मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) के अधीन स्थापित समन्वय समिति, उक्त अधिनियम की धारा 34 में प्रगणित शक्तियों का प्रयोग तथा कृत्यों का पालन करेगी ।

(2) कुलपति समन्वय समिति की पदेन सदस्य होगा ।

परिनियम

25. इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, परिनियमों में निम्नलिखित समस्त विषयों या उनमें से किसी विषय के लिये उपबन्ध हो सकेंगे, अर्थात :–

(क) कुलपति की नियुक्ति की रीति, उसकी नियुक्ति की अवधि, उसकी उपलब्धियां और सेवा की अन्य शर्तो तथा वे शक्तियां और कृत्य जिनका प्रयोग तथा पालन उसके द्वारा किया जा सकेगा ।

(ख) निदेशकों, कुलसचिवों, वित्त अधिकारी तथा अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति, उनकी उपलब्धियां तथा सेवा की अन्य शर्तो तथा वे शक्तियां और कृत्य जिनका प्रयोग तथा पालन अधिकारियों में से प्रत्येक के द्वारा किया जा सकेगा ।

(ग) विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड और उसके अन्य प्राधिकरणों का गठन, ऐसे प्राधिकरणों के सदस्यों की पदावधियां तथा वे शक्तियां और कृत्य जिनका प्रयोग तथा पालन ऐसे प्राधिकरणों द्वारा किया जा सकेगा।

(घ) परीक्षकों तथा अनुसीमकों (मॉटरेटर्स) की नियुक्ति ।

(ड़) विश्वविद्यालय के अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति, उनकी उपलब्धियां तथा सेवा की अन्य शर्ते।

(च) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सेवा में ज्येष्ठता को शासित करने वाले सिद्धांत

(छ) विश्वविद्यालय के किसी कर्मचारी या विद्यार्थी द्वारा विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकरण की कार्रवाई के विरूद्ध किसी अपील के या पुनर्विलोकन के लिये आवेदन की सम्बन्ध में प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत वह समय भी है जिसके भीतर ऐसी अपील की जायेगी या पुनर्विलोकन के लिये आवेदन किया जायेगा ।

(ज) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों या विद्यार्थियों और विश्वविद्यालय के बीच के विवादों के निपटारे के लिये अधिकरण तथा प्रक्रिया ।

(झ) विश्वविद्यालय में स्तरमानों का समन्वय और अवधारण।

(ञ) ऐसे समस्त अन्य विषय जो इस अधिनियम के अनुसार परिनियमों द्वारा उपबंधित किये जाने हों या उपबांधित किये जायें ।

परिनियम किस प्रकार बनाए जाएंगे

26. (1) प्रथम परिनियम समन्वय समिति द्वारा विरचित किये जायेंगे और तारीख से प्रभावी होंगे, जो समन्वय समिति विनिर्दिष्ट करें । परिनियम किस प्रकार बनाये जायेंगे ।

(2) समन्वय समिति, समय–समय पर, इसमें इसके पश्चात् दी गई रीति में कोई परिनियम बना सकेगी, उसे संशोधित या निरस्त कर सकेगी ।

(3) समन्वय समिति –

क स्वप्रेरणा से; या

ख प्रबंध बोर्ड द्वारा प्रस्थापना की जाने पर,

परिनियम के प्रारूप पर विचार कर सकेगी :

परन्तु खण्ड (क) में की कोई भी बात कुलपति, कुलसचिव तथा विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की उपलब्धियों पर प्रभाव डालने वाले परिनियमों से भिन्न परिनियमों के संबंध में लागू नहीं होगी ।

(4) जहां किसी प्रारूप की प्रस्थापना समन्वय समिति द्वारा उपधारा (3) के खण्ड (क) के अधीन की जाती हैं, वहां उसे प्रबंध बोर्ड को विचारार्थ निर्देशित किया जायेगा और समन्वय समिति, प्रबंध बोर्ड के विचारों पर, यदि कोई हों, जो तीस दिन से अन्यून ऐसी कालावधि के भीतर, जो समन्वय समिति विनिर्दिष्ट करें, प्राप्त हों, विचार करने के पश्चात् ऐसे प्रारूप को उपान्तरणों सहित या उपान्तरणों के बिना अनुमोदित कर सकेगी और परिनियम को पारित कर सकेगी ।

(5) जहां प्रारूप की प्रस्थापना प्रबंध बोर्ड द्वारा की जाती हैं, वहां समन्वय समिति ऐसे प्रारूप को अनुमोदित कर सकेगी और परिनियम को पारित कर सकेगी या उसे

अस्वीकार कर सकेगी या उसे किसी ऐसे संशोधन के साथ, जिसका समन्वय समिति सुझाव दें, पूर्णतः या अंशतः पुनर्विचार के लिये, प्रबंध बोर्ड को वापस कर सकेगी ।

(6) उपधारा (5) के अधीन वापस किये गये किसी प्रारूप पर तथा समन्वय समिति द्वारा सुझाये गये किसी संशोधन पर प्रबंध बोर्ड द्वारा आगे विचार कर लिया जाने के पश्चात् वह, उस पर प्रबंध बोर्ड की रिपोर्ट के साथ, समन्वय समिति के समक्ष पुनः उपस्थापित किया जायेगा और समन्वय समिति परिनियम को अनुमोदित कर सकेगी या अस्वीकार कर सकेगी ।

(7) किसी परिनियम के या किसी परिनियम में किसी संशोधन के या किसी परिनियम के निरसन के किसी ऐसे प्रारूप पर, जो विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण की प्रास्थिति, शक्ति या गठन पर प्रभाव डालता हो, समन्वय समिति तब तक विचार नही करेगी या प्रबंध बोर्ड किसी ऐसे प्रारूप की तब तक प्रस्थापना नहीं करेगा जब तक कि ऐसे प्राधिकरण को उस प्रस्थापना पर राय अभिव्यक्त करने का अवसर न दे दिया गया हो ।

(8) समन्वय समिति परिनियमों को अनुमोदित कर सकेगी और वे ऐसी तारीख से प्रभावी होंगे जो समन्वय समिति विनिर्दिष्ट करें ।

अध्यादेश

27. (1) इस अधिनियम तथा परिनियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, अध्यादेशों में निम्नलिखित समस्त विषयों या उनमें से किसी विषय के लिये उपबन्ध हो सकेंगे, अर्थात् –

(क) विद्यार्थियों का प्रवेश, अध्ययन पाठ्यक्रम और उनके लिये फीस, उपाधियों, उपाधि–पत्रों, प्रमाणपत्रों तथा अन्य पाठ्यक्रमों में संबंधित अर्हतायें, अध्येतावृतियों, पुरस्कारों के दिये जाने तथा वैसी ही बातों के लिये शर्ते;

(ख) परीक्षाओं का संचालन जिसके अन्तर्गत है परीक्षकों तथा अनुसीमकों (मॉडरेटर्स) के निबन्धन और शर्ते तथा उनकी नियुक्ति।

(ग) कोई अन्य विषय, जो इस अधिनियम या परिनियमों के अनुसार अध्यादेशों द्वारा उपबंधित किया जाना है या उपबंधित किया जाये ।

(2) प्रथम अध्यादेश कुलपति द्वारा राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से बनाये जायेंगे और इस प्रकार बनाये गये अध्यादेशों, परिनियमों द्वारा विहित रीति में, प्रबंध बोर्ड

द्वारा, किसी भी समय, संशोधित निरस्त या परिवर्धित किये जा सकेंगे ।

विनियम

28. विश्वविद्यालय के प्राधिकरण, अपने स्वयम् के और अपने द्वारा नियुक्त समितियों, यदि कोई हो, के कार्य के संचालन के लिये, जिनके कि लिये इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा कोई उपबन्ध न किया गया हो, परिनियमों द्वारा विहित रीति में ऐसे विनियम बना सकेंगे जो इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों से संगत हों ।

वार्षिक रिपोर्ट

29. (1) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट प्रबन्ध बोर्ड के निदेशों के अधीन तैयार की जाएगी और उसमें, अन्य विषयों के साथ विश्वविद्यालय द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किये गये उपाय भी सम्मिलित होंगे।

(2) इस प्रकार तैयार की गयी वार्षिक रिपोर्ट कुलाधिपति को और राज्य सरकार को ऐसी तारीख को या उसके पूर्व भेजी जाएगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए, विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति राज्य सरकार द्वारा उसके प्राप्त होने के पश्चात् यथासाध्य शीघ्र विधानसभा के पटल पर रखी जाएगी।

वार्षिक लेखे

30. (1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे, प्रबंध बोर्ड के निदेशों के अधीन तैयार किये जायेंगे और उसकी संपरीक्षा राज्य के स्थानीय निधि लेखा परीक्षक द्वारा की जाएगी।

(2) लेखाओं की एक प्रति तथा संपरीक्षा रिपोर्ट प्रबंध बोर्ड के संप्रेक्षणों के साथ, यदि कोई हों, कुलाधिपति को भेजी जाएगी।

(3) वार्षिक लेखाओं पर कुलाधिपति द्वारा किये गये संप्रेषण प्रबंध बोर्ड के ध्यान में लाये जायेंगे और ऐसे संप्रेक्षणों पर प्रबन्ध बोर्ड के विचार, यदि कोई हों, कुलाधिपति को भेजें जायेंगें।

(4) लेखाओं की एक प्रति तथा संपरीक्षा रिपोर्ट, जो कुलाधिपति को भेजी गयी हो, राज्य सरकार को तथा मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग को भी भेजी जाएगी। लेखाओं की एक प्रति तथा संपरीक्षा रिपोर्ट जो राज्य सरकार को भेजी गई हो, राज्य सरकार द्वारा उसके प्राप्त होने के पश्चात् यथासाध्य शीघ्र विधानसभा के पटल पर रखी जायेगी।

कर्मचारियों की सेवा की शर्तें

31. (1) विश्वविद्यालय का प्रत्येक कर्मचारी लिखित संविदा के अधीन नियुक्त किया जाएगा और ऐसी संविदा इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के उपबन्धों से अंसगत नहीं होगी।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट संविदा विश्वविद्यालय के पास रखी जाएगी और उसकी एक प्रति संबंधित कर्मचारी को दी जाएगी ।

विवाद का न्यायनिर्णयन

32. विश्वविद्यालय और उसके किन्हीं अधिकारियों या अध्यापकों में से किसी के मध्य संविदा से उदभूत किसी विवाद का न्याय निर्णयन् कुलपति द्वारा किया जाएगा और कुलपति के विनिश्चय के विरूद्व अपील, कुलाधिपति को या किसी ऐसे निकाय को, जो उसके द्वारा इस प्रयोजन के लिए अभिहित किया जाए या किसी अधिकरण को होगी जो सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए गठित किया जाए ।

विश्वविद्यालयों के प्राध्किरणों तथा निकायों के गठन के बारे में विवाद

33. यदि इस बारे में कोई प्रश्न उदभूत होता है की क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय के सदस्य के रूप में सम्यक रूप से नियुक्त किया गया है, या उसका सदस्य होने का हकदार है तो वह मामला कुलाधिपति को निर्देशित किया जाएगा, जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना

34. विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण या अन्य निकाय के सदस्यों (पदेन सदस्यों को छोड़कर) में हुई समस्त आकस्मिक रिक्तिया, यथाशीघ्र सुविधानुसार उस व्यक्ति या निकाय द्वारा भरी जाएगी जो उस सदस्य को जिसका स्थान रिक्त हुआ है नियुक्त, निर्वाचित या सहयोजित करता है, और किसी आकस्मिक रिक्ति में नियुक्त, निर्वाचित या सहयोजित कोई व्यक्ति ऐसे प्राधिकरण या निकाय का उस अवशिष्ट अवधि के लिए सदस्य होगा, जिसके दौरान वह व्यक्ति, जिसका स्थान वह भरता है,सदस्य रहा होता।

विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों या निकायों की कार्य–वाहियों का रिक्तयों के कारण अविधिमान्य न होना

35. किसी प्राधिकरण या किसी अन्य निकाय का कोई भी कार्य या कार्यवाहियां केवल इस कारण से अविधिमान्य नही होगी कि उसके सदस्यों में कोई रिक्त या रिक्तियां है ।

सद्भावनापूर्वक की गयी कार्रवाई के लिए संरक्षण

36. किसी भी ऐसी बात के लिए जो इस अधिनियम या परिनियमों या अध्यादेशों या विनियमों के उपबन्धों में से किसी उपबन्ध के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गयी हो या जिसका सदभावपूर्वक किया जाना आशयित रहा हो विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी, अध्यापक या अन्य कर्मचारी के विरूद्व कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही नही होगी ।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

37 यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावशील करने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है, तो राज्य सरकार, आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न होने वाले ऐसे उपबन्ध कर सकेगी जों उन कठिनाईयों का निराकरण करने के लिए उसे आवश्यक समीचीन प्रतीत होते हो ।

परन्तु इस धारा के अधीन कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारंभ से तीन वर्ष का अवसान हो जाने के पश्चात् नही किया जाएगा ।

संक्रमणकालीन उपबंध

38. इस अधिनियम तथा परिनियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ––

[6]क प्रथम कुलपति, प्रथम कुलसचिव और प्रथम वित्त अधिकारी, कुलाधिपति द्वारा, राज्य सरकार की सलाह पर नियुक्त किए जाएंगे और वे अपने–अपने नियुक्ति आदेश मे विनिर्दिष्ट किये गये सेवा के निबंधनों और शर्तों द्वारा शासित होंगे:[1]

[7]परन्तु यह और भी कि प्रथम कुलपति प्रथम परिनियमों में विनिर्दिष्ट रीति में, दूसरी अवधि के लिए नियुक्ति का पात्र होगा.

[8]परन्तु यदि कुलाधिपति को यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण उनके लिए यह आवश्यक हो गया है कि वे प्रथम कुलपति के अपने पद पर नहीं रहने के पश्चात् धारा 9 के अनुसार नियुक्ति न करके अन्यथा कुलपति की नियुक्ति करें, तो वे ऐसा राज्य सरकार की सलाह पर चार वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिये कर सकेंगे जैसा कि वे समीचीन समझें और इस प्रकार नियुक्ति किए गए कुलपति की सेवा के अन्य निबन्धन तथा शर्तें ऐसी होंगी जो उसकी नियुक्ति के आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं;

[9]ख प्रथम प्रबन्ध बोर्ड में पन्द्रह से अनधिक सदस्य होंगे जो कुलाधिपति द्वारा राज्य सरकार की सलाह पर नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे और वे तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे, और

ग [10](एक) प्रथम योजना, बोर्ड में दस से अनधिक सदस्य होंगे जो कुलाधिपति द्वारा राज्य सरकार की सलाह पर नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे और वे तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे.

(दो) योजना बोर्ड इस अधिनियम द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों और कृत्यों के अतिरिक्त विद्या परिषद् और अध्ययन बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग तब करेगा जब तक कि विद्या परिषद् और अध्ययन बोर्ड का इस अधिनियम तथा परिनियमों के उपबन्धों के अधीन गठन नही हो जाता और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने में योजना बोर्ड ऐसे सदस्यों को सहयोजित कर सकेगा जैसा वह विनिश्चित करें ।

[1,2,3,4,]मध्यप्रदेश भोज विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1997

[5,8,9,10] मध्यप्रदेश भोज विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1992

[6,7] मध्यप्रदेश भोज विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1996

---

[1] म.प्र. भोज वि.वि. (संशोधन) , विधेयक, 1992 (क्र. 16 सन् 1992)
[2] म.प्र. भोज वि.वि. (संशोधन) , विधेयक, 1992 (क्र. 16 सन् 1992)
[3] म.प्र. भोज वि.वि. (संशोधन) , विधेयक, 1992 (क्र. 16 सन् 1992)